स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों से परामर्श कानून के बारे में मार्गदर्शनः

Consulting Employees on Health and Safety: A guide to the law

परिचय

इस लीफलेट में बताया गया है कि कानूनन नियोजकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के माामलों में अपने कर्मचारियों से परामर्श अवश्य करना होगा. इसमें यह भी बताया गया है कि और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त की जाए.

परामर्श क्यों महत्त्वपूर्ण है?

कामकाज का सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश तैयार करने में, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों पर कर्मचारियों से परामर्श करना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. कर्मचारियों से परामर्श करके नियोक्ता अपने स्टाफ को प्रेरणा दे सकता है और उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों से अवगत करा सकता है. व्यवसाय अधिक कुशलता से चलाया जा सकता है और दुर्घटनाओं की संख्या तथा कार्य से होने वाली बीमारियों में कमी की जा सकती है.

कानूनन, नियोक्ताओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों पर अपने कर्मचारियों से परामर्श अवश्य करना होगा. कुछ कामगार जिन्हें - मान लीजिए कराधान प्रयोजनों से - स्वरोजगार में कहा जाता है, उन्हें भी स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून के तहत नियोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इस लीफलेट में ग्रेट ब्रिटेन की भूमि पर कार्यरत नियोजकों और कर्मचारियों पर लागू होने कानून का सारांश दिया गया है . इस बारे में और अधिक जानकारी तथा ब्रिटेन से बाहर के व्यवसायों की स्थिति के बारे में आपको इस लीफलेट के अन्त में सन्दर्भ खण्ड में बताया गया है.

स्वास्थ्य और सुरक्षा पर परामर्श मे क्या निहित है?

परामर्श में न केवल नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को जानकारी देना निहित है बल्कि यह भी निहित है कि नियोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले, कर्मचारियों की बात सुने और ध्यान में रखें.

यदि किसी निर्णय में कार्य से जुडा हुआ उपकरण, प्रक्रिया या संगठन निहित है, जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना अवश्य प्रदान करेगा. नियोक्ता अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को भी विचार अभिव्यक्त करने का मौका अवश्य दे. इसके बाद कोई निर्णय लेने से पहले, नियोक्ता इन विचारों को अवश्य ध्यान में रखें .

परामर्श किस बारें में किया जाए ?

ऐसे मामले जिनमें कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा जुडी हो, उनपर परामर्श अवश्य किया जाए, साथ ही इनपर भी विचार किया जाए :

- कार्य के दौरान उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित कर सकने वाला कोई भी परिवर्तन, जैसे - क्रियाविधि, उपकरण या कार्य की शैली में परिवर्तन;

- नियोक्ता द्वारा ऐसे सक्षम लोगों को साथ लेना जो उसे स्वास्थ्य और सुरक्षा के कानूनों के अनुपालन में मदद कर सकें ;

- कार्य से पैदा होने वाले सम्भावित खतरे से निपटने या इन्हें कम करने के उपायों और कर्मचारियों को यदि जोखिम या खतरे से निपटना हो, तो वे क्या करें - इन सब की जानकारी कर्मचारियों को अवश्य दी जाए;

- स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण की योजना बनाना; और

- नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत के परिणामस्वरुप स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति.

परामर्श कैसे होना चाहिए?

दि सेफ्टी रीप्रेजेन्टेटिवस़ एन्ड सेफ्टी कमिटीज रेग्यूलेशन्स (एसआरएससीआर) (The Safety Representatives and Safety Committees Regulations (SRSCR) 1977

यदि किसी नियोक्ता ने ट्रेड यूनियन को मान्यता दे दी है और उस ट्रेड यूनियन ने SRSCR 1977 के तहत सुरक्षा प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है या करने वाली है, तो कर्मचारियों के समूह या समूहों को प्रभावित करने वाले मामलों पर, उन सुरक्षा प्रतिनिधियों के साथ नियोक्ता अवश्य परामर्श करें. कर्मचारियों के इन समूहों के सदस्यों में वे लोग भी हो सकते है जो उस ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है.

दि हैल्थ एन्ड सेफ्टी (कन्सल्टेशन विद एम्पलाइज) रेग्यूलेशन्स (The Health and Safety (Consultation with Employees Regulations)(एचएससीईआर), 1996.

कोई भी कर्मचारी जो ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधियों द्वारा शामिल समूहों में नहीं है, उस कर्मचारी से उसके नियोक्ता एचएससीईआर 1996 के तहत परामर्श अवश्य करें. नियोक्ता उनसे सीधे ही या चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से परामर्श कर सकते हैं.

यदि नियोक्ता सीधे ही कर्मचारियों से परामर्श करते है, तो वे ऐसी विधि चुन सकते है जो सभी के लिए सर्वोतम हो यदि नियोक्ता किसी चयनित प्रतिनिधि के माध्यम में अपने कर्मचारियों से परामर्श का निर्णय करते है तो कर्मचारियों को अपने प्रतिनिधि के रुप में एक या अधिक लोगों का चुनाव करना होगा.

यदि नियोक्ता की व्यवस्थाएँ पहले ही कानून के अनुपालन में हो तो परिवर्तन की कोई जरुरत नहीं है.

क्या परामर्श में भागीदारी के परिणामस्वरुप कर्मचारियों को परेशानी हो सकती है?

नहीं. कर्मचारियों चाहे व्यक्तिगत रुप से या प्रतिनिधि के रुप में, स्वास्थ्य और सुरक्षा परामर्श में भागीदारी की है इस आधार पर, बरखास्तगी या उनके विरुद्ध किसी कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी संरक्षण दिया जाता है. इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधि के चुनाव में भागीदारी या एक उम्मीदवार होना भी शामिल है.

प्रतिनिधियों को क्या मदद और प्रशिक्षण मिलेंगे?

नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिले ताकि वे अपनी - अपनी भूमिका निभा सकें , उन्हें प्रशिक्षण के लिए वेतन सहित जरुरी अवकाश और प्रशिक्षण पर आने वाला सुसंगत खर्च भी दिया जाए. सम्बन्धित ट्रेड यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. सभी प्रतिनिधियों को वेतन सहित अवकाश अवश्य दिया जाए ताकि वे अपेक्षित प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकें.

सभी प्रतिनिधियों को वेतन सहित समुचित अवकाश ओर समुचित मदद तथा सुविधाएँ अवश्य दी जाएँ ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें. चुनाव के लिए उम्मीदवार भी अपनी भूमिका निभाने के लिए वेतन सहित सुसंगत अवकाश के हकदार है.

कौन सी सूचना उपलब्ध होनी चाहिए?

कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को पर्याप्त जानकारी अवश्य दी जाए ताकि वे परामर्श में सम्पूर्ण और प्रभावी भागीदारी कर सकें.

> यदि नियोक्ता निर्णय करते है तो वे कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों दोनों ही से कि विशेष मुददे.पर परामर्श कर सकते हैं.

नियोक्ताओं के लिए यह जरुरी नहीं कि वे ऐसी जानकारी प्रदान करें जिससे वे अवगत नहीं है या यदि यह जानकारी :

- राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के विरुद्व या कानून के विरुद्व हो,
- किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जिसने इसे बताने की अनुमति नहीं दी हो;
- स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इसके प्रभावों के अलावा यह व्यवसाय को नुकासान पहुँचा सकती हो; या
- नियोक्ता को यह जानकारी कानूनी कार्रवाई के सन्दर्भ में प्राप्त हुई हो.

विनियमों को कैसे लागू किया जाए?

स्वास्थ्य और सुरक्षा इन्स्पेक्टर इन विनियमों का लागू कराते है. यदि नियोक्ता इन विनियमों का पालन नहीं करते है तो यह अपराध माना जाएगा.

> यदि नियोक्ताओं और कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों के बीच पराम   व्यवस्था के बारे में कोई असहमति है, तो संगठन में सामान्य क्रियाविधि के माध्यम से सहमति का प्रयास किया जाए. यदि जरूरी हो तो दि एडवाइजरी, कॉन्सालिएशन एण्ड आर्बिट्रेशन सर्विस (ACAS) को भी शामिल किया जा सकता है.

यदि किसी कर्मचारी को लगे कि कि परामर्श में भागीदारी के लिए उसे सजा दी गई है वह इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है. ऐसे प्रतिनिधि जिन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए वेतन सहित अवकाश या प्रशिक्षण नहीं मिला है वे भी अपील कर सकते हैं.

ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधियोँ और सुरक्षा के चयनित प्रतिनिधियों (ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधियों की परिसीमा में नहीं आने वाले कर्मचारियों के समूहों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि) की भूमिकाओं में क्या अन्तर है?

एसआरएीएसआर 1977 के तहत, ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधियों की भूमिका इस प्रकार है :

- कार्यस्थल पर सम्भावित खतरों का मुआयना; वहॉ पर दुर्घटनाओं के कारणों और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों की सामान्य शिकायतों तथा कल्याण के मामलों की जाँच और इन मामलों को नियोक्ताओं के समक्ष ले जाना ;

- कार्यस्थल का निरीक्षण करना खासकर दुर्घटना, रोग या अन्य घटनाओं के बाद विशेषरूप से;

- स्वास्थ्य और सुरक्षा इन्स्पेक्टरों के साथ विचार विमर्श में कर्मचारियों का प्रतिनिनिधत्व और उन इन्स्पेक्टरों से जानकारी हासिल करना; तथा

- सुरक्षा समितियों की बैठकों में शामिल होना.

यदि दो या अधिक ट्रेड यूनियनों के सुरक्षा प्रतिनिधि सहमत हों, तो नियोक्ता को एक सुरक्षा समिति अवश्य गठित करनी चाहिए.

अलग एचएससीईआर 1996 कर्मचारी सुरक्षा के चयनित प्रतिनिधियों के निम्नलिखित भूमिका प्रदान करता है:

- जिन कर्मचारियों का वे प्रतिनिधित्व करते है उनके सन्दर्भ में कार्यस्थल पर संभावित जोखिमों और खतरनाक घटनाओं के बारे में सम्बद्र कर्मचारियों का अवगत कराना;

- कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सामान्य मामलों पर नियोक्ता से विचारविमर्श ; और

- स्वास्थ्य और सुरक्षा इन्स्पेक्टरों के साथ परामर्श में उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, जिन्होंने उन्हें चुना था.

यदि नियोक्ता चाहें तो चयनित प्रतिनिधियों को अतिरिक्त भूमिका दे सकते हैं.

मुझपर कौन सी प्रणाला लागू होती है?

रेखाचित्र 1 में विनियमाके के दो समूहों के बीच सम्बन्ध को और इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि ये नियोक्ता और उनके कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करते हैं.

यदि ट्रेड यूनियन को नियोक्ता ने मान्यता दे दी है तो निम्नलिखित स्थितियाँ लागू होंगी

- वह यूनियम एसआरएससीआर 1977 के तहत सुरक्षा प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकती हैं. नियोक्ताओं को ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सुरक्षा प्रतिनिधि द्वारा कर्मचारियों के किस समूह का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है.

- इन समूहों में कर्मचारियों पर एसआरएससीआर 1977 लागू होंगे (हो सकता है कि उनमें से कुछ वस्तुतः सम्बद्ध ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हों).

- नियोक्ता इन ट्रेड यूनियन के सुरक्षा प्रतिनिधियों से परामर्श अवश्य करें.

यदि ट्रेड यूनियन सुरक्षा प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं हुई हे, नियुक्ति नहीं की जानी है या ऐसे कर्मचारी हैं जो इनमेकं शामिल नहीं हैं, तो :

- इन समूहों के कर्मचारियों पर एचएससीईआर 1996 लागू होंने, और

- नियोक्ता इन कर्मचारियों से सीधे ही या चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से एचएससीईआर 1996 के अनुरूप परामर्श अवश्य करें.

रेखाचित्र-1

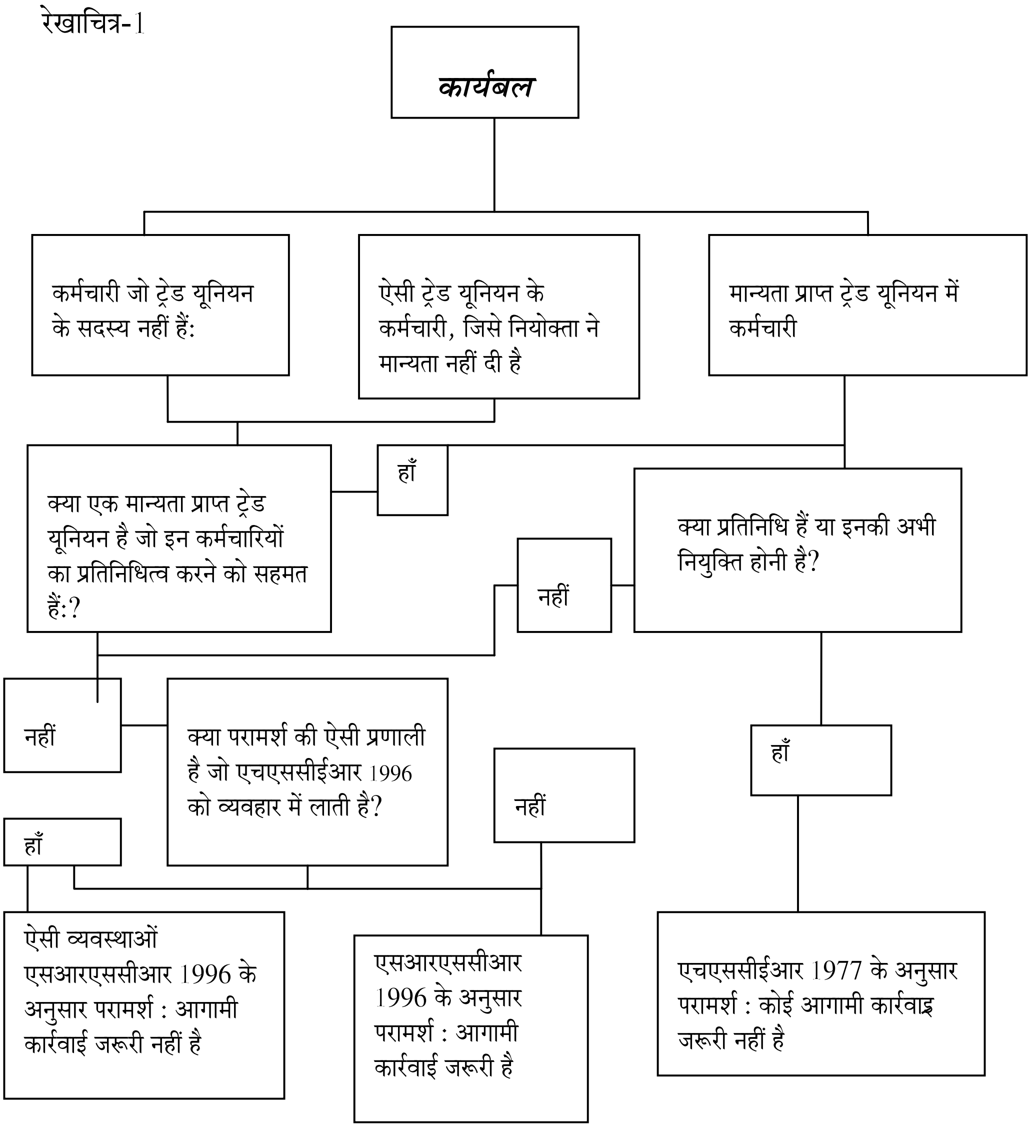
कार्यबल
कर्मचारी जो ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं:
ऐसी ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, जिसे नियोक्ता ने मान्यता नहीं दी है
मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन में कर्मचारी
क्या एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है जो इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने को सहमत हैं:?
हाँ
क्या प्रतिनिधि हैं या इनकी अभी नियुक्ति होनी है?
नहीं
नहीं
क्या परामर्श की ऐसी प्रणाली है जो एचएससीईआर 1996 को व्यवहार में लाती है?
नहीं
हाँ
हाँ
ऐसी व्यवस्थाओं एसआरएससीआर 1996 के अनुसार परामर्श : आगामी कार्रवाई जरूरी नहीं है
एसआरएससीआर 1996 के अनुसार परामर्श : आगामी कार्रवाई जरूरी है
एचएससीईआर 1977 के अनुसार परामर्श : कोई आगामी कार्रवाइ जरूरी नहीं है

सन्दर्भ

सेफ्टी रेप्रेजेन्टेटिव्स एन्ड सेफ्टी कमीटीज (Safety representatives and safety committees) L87 (Third edition-तृतीय संस्करण)
HSE Books 1996 ISBN 0 7176 1220 1

ए गाइड टू दि हैल्थ एन्ड सेफ्टी (कन्सल्टेशन विद एम्प्लायीज) रेग्यूलेशन्स 1996. गाइडेन्स ऑन रेग्यूलेशन्स (A guide to Health and Safety (Consultation with Employees) Regulations 1996. Guidance on regulations
L95 HSE Books 1996.
ISBN 0 7176 1234 1

मर्चेन्ट शिपिंग एन्ड फिशिंग वेसेल्स (हैल्थ एन्ड सेफ्टी एट वर्क) रेग्यूलेशन्स (Merchant Shipping and Fishing Vessels (Health and Safety at Work) Regulations 1997
SI 1997/2962 The Sationery Office (दि स्टेशनरी ऑफिस)
1998 ISBN 0 11065345 9

एचएसई के कीमत सहित और मुफ्त प्रकाशन प्राप्त करने के लिए अपने आर्डर भेजिए :
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA
फोन : 01787 881165 फैक्स : 01787 313995 वेबसाइट : www.hsebooks.co.uk
(एचएसई के समूल्य मुफ्त प्रकाशन पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीदे जा सकते हैं और मुफ्त लीफलेट एचएसई की वेबसाइट: www.hse.gov.uk से डाउनलोड किए जा सकते हैं)

स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी के लिए एचएसइ की इनफोलाइन पर फोन कीजिए
फोन: 08701 545500 फैक्स : 02920 859260 ईमेल :hseinformationservices@natbrit.com या इस पते पर लिखें : HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG.
इस लीफलेट में अच्छी परिपाटी पर टिप्पणियाँ हैं जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है - इस बारे में मदद मिलेगी.

बेहतर परिपाटी दिशानिदेश मुख्य पाठ से अलग बाक्स में इंगित किए गए हैं.
यह लीफलेट 15 के पैक में HSE Books बुक्स से खरीदा जा सकता है,
ISBN 0 7176 1615 0. एचएसई बुक्स से एक प्रति मुफ्त भी प्राप्त की जा सकती है.

© क्राउन कॉपीराइट
विज्ञापन, परांकन या वाणिज्यिक प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए इस प्रकाशन का पुनमुद्रण करने की छूट है. प्रथम प्रकाशन 09/96.
स्रोत के रूप में उल्लेख कीजिए HSE

INDG 232 पुनमुद्रण 10/02 C1000

आर्डर फार्म

आर्डर देने वाले

नाम आद्याक्षर उपनाम

पदनाम कम्पनी का नाम

डिलीवरी किस पते पर दी जाए

पोस्ट कोड टेलिफोन

ईमेल चेतावनी सेवा

हम यह सेवा ईमेल के माध्यम से भी प्रदान करते हैं. यदि आप इस माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया अपना ईमेल पता दीजिए

मेरा ईमेल पता है :

कृपया मेरे पास भिजवाएँ

ISBN	शीर्षक	एक प्रति की कीमत	मात्रा	कुल कीमत
0 7176 1234 1	*ए गाइड टू दि हैल्थ एन्ड सेफ्टी (कन्सल्टेशन विद एम्प्लायज) रेग्यूलेशन्स 1996. गाइडेन्स ऑन रेग्यूलेशन्स* 1996 L 95	£8.00 +वीएटी		
0 7176 1220 1	*सेफ्टी रेप्रेजेन्टेटिव्स एन्ड सेफ्टी कमीटीज (तृतीय संस्करण) L87 यदि आप 10 प्रतियों के लिए आर्डर देते हैं तो आपको केवल 40 पौंड का भुगतान करना होगा.*	£5.75+वीएटी		
			कुल	

भुगतान के ब्यौरे

मैं एचएसई बुक्स के पक्ष में भुगतान के लिए £ की राशि का चेक/पीओ* संलग्न कर रहा हूँ.

या

कृपया मेरे मास्टर कार्ड/वीजा/अमेरिकन एक्सप्रेस* में £ की राशि डेबिट कर दीजिए.

कार्ड नं. प्रारम्भ तारीख समाप्ति की तारीख

कार्डधारक का नाम हस्ताक्षर

या कृपया मेरे एचएसई बुक एकाउन्ट नं. मे चार्ज कर दीजिए :

मेरी सन्दर्भ संख्या है * जो लागू न हो काट दीजिए.

आपके द्वारा दी गई जानकारी का प्रयोग हम सीधे विपणन प्रयोजनों के लिए करेंगे ताकि अपको नए और संशोधित प्रकाशनों की जानकारी दी जा सके.
*यदि आप **नहीं** चाहते कि आपका नाम इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो तो कृपया यहाँ निशान लगाइये.* ☐

पूरा भरकर यह फार्म लौटाइए : HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA
फोन : 01787 881165 फैक्स : 01787 313995
वेबसाइट : www.hsebooks.co.uk

एचएसई के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीदे जा सकते हैं.
एचएसई वेबसाइट : www.hse.gov.uk 2/02 300